# छत्तीसगढ़ विधानसभा
# पत्रक भाग-एक
# संक्षिप्त कार्य विवरण
# गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2010
# (श्रावण-7, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

## 1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 एवं 09 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

## 2. व्यवस्था

माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल के तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 243) "खरसिया नहर शाखा की अनुबंधित राशि तथा निर्धारित समयावधि" पर चर्चा के दौरान सभा के समक्ष आये तथ्यों और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय अध्यक्ष ने सम्पूर्ण प्रकरण जांच एवं प्रतिवेदन के लिए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपे जाने संबंधी व्यवस्था दी।

## 3. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री दूजराम बौद्ध अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित एवं 33 अंतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

## 4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, गुरु रूद्रकुमार, सदस्य ने प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान भीगने से खराब होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) मोहम्मद अकबर, सदस्य ने पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित जीवन दीप समितियों में व्याप्त अनियमितताओं की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 5. नियम 267 क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणा अनुसार निम्मलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) महंत रामसुंदर दास

(3) मोहम्मद अकबर

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

(5) श्री धर्मजीत सिंह

## 6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

| *अशासकीय संकल्प क्रं.* | *सदस्य का नाम* | *समय* |
|---|---|---|
| 1. (क्रमांक - 02) | महंत रामसुंदर दास | 50 मिनट |
| 2. (क्रमांक - 06) | श्री संतोष बाफना | 50 मिनट |
| 3. (क्रमांक - 08) | श्री देवजी पटेल | 50 मिनट |

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

## 7. संकल्प

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"प्रदेश के सभी ए.पी.एल राशन कार्ड धारकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य को प्रतिमाह इकसठ हजार मेट्रिक टन चावल तथा बत्तीस हजार मेट्रिक टन गेहूं का आबंटन सुनिश्चित किया जाए।"**

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

*यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश के सभी ए.पी.एल राशन कार्ड धारकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य को प्रतिमाह इकसठ हजार मेट्रिक टन चावल तथा बत्तीस हजार मेट्रिक टन गेहूं का आबंटन सुनिश्चित किया जाए।"*

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष), (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, मोहम्मद अकबर, दीपक कुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

## 8. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

## 9. संकल्प (क्रमशः)

माननीय अध्यक्ष ने संकल्प पर मत लिया। तद्नुसार *यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश के सभी ए.पी.एल राशन कार्ड धारकों को पात्रतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राज्य को प्रतिमाह इकसठ हजार मेट्रिक टन चावल तथा बत्तीस हजार मेट्रिक टन गेहूं का आबंटन सुनिश्चित किया जाए।"*

**संकल्प स्वीकृत हुआ।**

## 10. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 58, 64, 67, 68, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर नौ सौ चौरासी करोड़, अन्ठावन लाख, तेईस हजार, तीन सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री परेश बागबाहरा, (जारी)

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

## 11. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल, (डॉ.) शक्राजीत नायक, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, नंदकुमार पटेल,

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)**

सर्वश्री संतोष बाफना, लखमा कवासी, फूलचंद सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, भजन सिंह निरंकारी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (6) का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की। )

सर्वश्री देवजी पटेल, रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष)।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक-19 सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 (क्रमांक-19 सन् 2010) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डश: विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

**रात्रि 7.36 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 30 जुलाई, 2010 (श्रावण 8, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

देवेन्द्र वर्मा

सचिव